

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/

जयपुर, दिनांक

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्बन्ध 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण जिला भरतपुर, बून्दी, डीग, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, हनुमानगढ़ एवं बारां के तहसीलों के गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था।

उक्त जिलों से प्राप्त संशोधित सूचना के आधार पर तालिका में अंकित जिलों की तहसीलों में प्रभावित कृषक नहीं होने के कारण आंशिक संशोधन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अधिसूचना क्रमांक/दिनांक	जिले का नाम	अधिसूचना में अंकित तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या में संशोधन	अधिसूचना से हटाई गई तहसीलों के नाम
1	18604397 / 02.11.25	भरतपुर	भरतपुर, नदबई, बयाना, वैर, भुसावर, रूपवास, रुदावल, एवं उच्चैन।	349 गांवों के स्थान पर 326 गांव पढ़ा जावे।	भुसावर
2	18604397 / 02.11.25	बून्दी	बून्दी, तालेड़ा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, नैनवां, हिण्डौली एवं रायथल।	534 गांवों के स्थान पर 540 गांव पढ़ा जावे।	बून्दी एवं तालेड़ा
3	18604397 / 02.11.25	डीग	डीग, कामां एवं जुरहरा।	58 गांवों के स्थान पर 64 गांव पढ़ा जावे।	—
4	18733590 / 10.11.25	बांसवाड़ा	अंबापुरा, आनन्दपुरी, अरथूना, बागीदौरा, छोटी सरवन, गढ़ी, गांगड़तलाई, घाटोल, गनोड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा एवं सज्जनगढ़।	—	अंबापुरा, बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गांगड़तलाई एवं सज्जनगढ़।
5	18733590 / 10.11.25	राजसमंद	आमेट, खमनोर, देलवाड़ा, राजसमंद, कुंवारिया, सरदारगढ़, भीम, देवगढ़, कुम्भलगढ़, गढबोर, नाथद्वारा एवं रेलमगरा।	—	आमेट, खमनोर, देलवाड़ा, राजसमंद, कुंवारिया एवं सरदारगढ़।
6	18765430 / 11.11.25	सलूम्बर	लसाडिया, सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा एवं सेमारी।	—	लसाडिया, सलूम्बर, झल्लारा एवं सराड़ा
7	18765430 / 11.11.25	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़, टिब्बी एवं भादरा	—	भादरा।
8	18921336 / 19.11.25	बारां	बारां, अन्ता, अटरू, मांगरोल, छबड़ा, छीपाबडौद, शाहबाद एवं किशनगंज	1233 गांवों के स्थान पर 1228 गांव पढ़ा जावे।	—

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. संम्भागीय आयुक्त, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर।
19. जिला कलक्टर, भरतपुर, बून्दी, डीग, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, हनुमानगढ़ एवं बारां।
20. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु।
25. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
26. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

शासन उप सचिव